HPFD-F05/54/2023-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 0.56109 hectare of forest land in favour of Jal Shakti Department for the construction of Sewarage Treatment Plant 5.00 MLD fore Zone-I in Muhal Diara, within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt, Bilaspur, H.P. (Proposal No. FP/HP/Others/123004/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/09/52/2021 दिनांक 07/03/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आव यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपुरक वनीकरणः**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर 1160 पौधों का प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4ण **भाुद्व वर्तमान मूल्यः**
क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्दे ों के अनुसार भाुद्व वर्तमान मूल्य की रा ि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) ाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

5ण The village benefited from this project is mentioned in the certificate uploaded additional information detail in Part-I at Sr. No. 8. It is also informed that there is no benefit village like Harsugar, Differpet etc. as mentioned in observation.

6ण The revised NPV and calculation bill as per rates by MoEF & CC dated 06.01.2022 has been uploaded in payment detail alongwith demand letter on the web portal.

7ण KML file of the area to be diverted, the CA area, the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area will be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission

towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-I approval, as the case may be.

8ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जहां भी संभव होगा अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर greenery को maintain किा जाएगा। इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

9ण एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिि चत किया जाएगा।

10ण FRA certificate alongwith all relevant annexures is uploaded with the compliance report of Stage-I approval of UA.

11णराज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदे ा में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

12ण प्रस्ताव में भाामील पेंडों के अलावा अन्य वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

13ण आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

14ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोॅटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

15ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

16ण Lyaout Plan प्रति साथ संलग्न प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत कम्लाईस रिर्पोट के साथ संलग्न है।

17ण केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

18ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक िाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

19ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

20ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ाानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

21ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

22ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

23ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

24ण इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

25ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदे ा/अनुदे ा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

26ण अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

27ण इस सर्न्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

Signed by भवदीय,
Sanjay Sood
Date: 25-03-2025 16:58:17
नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0